प्रेषक

उपायुक्त यमुनानगर।

सेवा में

1. सयुक्त आयुक्त, नगर–निगम, यमुनानगर–जगाधरी।
2. सचिव, नगरपालिका, सढौरा/रादौर।
3. समस्त खण्ड् विकास एवं पंचायत अधिकारी जिला यमुनानगर

क्रंमाक 1533 /एम0ए0/दिनांक 05-04-2020

विषयः– **असगंठित मजदूरों को कोविड–19 के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतू सत्यापन करने बारे।**

उपरोक्त विषय बारे लिखा जाता है कि सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों अनुसार असगंठित क्षेत्र जैसे कि रिक्शा चलाने वाले, निर्माण कार्य में लगे मजदूर, गलियों में सामान बेचने वाले (रेहडी वाले), ढाबों पर काम करने वाले मजदूर इत्यादि जिनके द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतू आवेदन किया गया है, को काविड–19 के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने से पूर्व उनका सत्यापन किया जाना है। जिसके लिए निम्न अनुसार कमेटी का गठन किया जाता हैः–

शहरी क्षेत्र के लिएः–

1. सम्बन्धित आंगनवाडी वर्कर।
2. सम्बन्धित प्राधानाचार्य/मुख्याध्यापक/प्रवक्ता/अध्यापक।
3. सफाई निरीक्षक/सहायक सफाई निरीक्षक।

ग्रामीण क्षेत्र के लिएः–

1. सम्बन्धित ग्राम सचिव/पटवारी
2. सम्बन्धित आंगनवाडी वर्कर।
3. सम्बन्धित गांव का सरपंच/पंच
4. नम्बरदार।

जिन व्यक्तियों द्वारा आवेदन किया गया है उनकी सूची इस पत्र द्वारा भेजकर लिखा जाता है कि इनका सत्यापन उपरोक्त कमेटी से करवाकर व आवेदक के नाम के सामने ही पात्र या अपात्र लिखकर रिपोर्ट अपनी टिप्पणी सहित दिनांक 06.04.2020 को प्रातः 10:00 बजे तक इस कार्यालय की ईमेल आईडी **naman.jain@cmgga.ashoka.edu.in** पर

Mukul Kumar

भिजवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त भविष्य में जिन अन्य व्यक्तियों द्वारा आवेदन किया जाएगा उनकी सूची भी आपको भेज दी जाएंगी व उनका सत्यापन भी उपरोक्त गठित कमेटी से करवाकर उसी दिन भिजवाना सुनिश्चित करें। यंहा यह भी व्यक्त किया जाता है कि जिन व्यक्तियों द्वारा निम्न स्कीम के अन्तर्गत अपने आप को पंजीकृत करवाया गया है उन्हे इस स्कीम के अन्तर्गत पात्र नही माना जाएगा।

1. मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना।
2. हरियाणा भवन व अन्य निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड।
3. यदि किसी व्यक्ति के पास किसी प्रकार का कोई राशन कार्ड है।
4. यदि किसी व्यक्ति के पास पांच एकड से अधिक कृषि भूमि है।

संलग्नः– आवेदनकर्ता मजदूरों की सूची।

उपायुक्त यमुनानगर।

पृ0क्रमाक 1534 /एम0ए0/दिनांक 05-04-2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त उपायुक्त, यमुनानगर।
2. जिला राजस्व अधिकारी, यमुनानगर अपने अधीनस्थ पटवारियों को उक्त बारे आवश्यक दिशा निर्देश देना सुनिश्चित करें व पटवारियों की एक सूची भी खण्ड विकास एवं पचायंत अधिकारियों को देना सुनिश्चित करें।
3. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, यमुनानगर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर को भेजकर लिखा जाता है जिन व्यक्तियों द्वारा आवेदन किया गया था उनकी सूची इस पत्र द्वारा भेजकर लिखा जाता है कि वह सूची अनुसार सम्बन्धित प्राधानाचार्य/मुख्यध्यापक/प्रवक्ता/अध्यापक की सूची सयुक्त आयुक्त नगर–निगम, यमुनानगर–जगाधरी व सचिव नगरपालिका रादौर एवं सढौरा को आज ही उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी, यमुनानगर को जिन व्यक्तियों द्वारा आवेदन किया गया था उनकी सूची इस पत्र द्वारा भेजकर लिखा जाता है कि वह सूची अनुसार शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत सम्बन्धित आंगनवाडी वर्कर की सूची सयुक्त आयुक्त नगर–निगम, यमुनानगर–जगाधरी व सम्बन्धित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी को आज ही उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त यमुनानगर।